संख्या-32/2016/938/37-1-2016-4(18)/2016

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊः दिनांक 25 अप्रैल,2016

विषयः- उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी की कार्यावधि अंकित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की विगत वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पशु चिकित्साधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय अपनी कार्यावधि का उल्लेख न कर केवल वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया जाता है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी, जिसकी प्रविष्टि अंकित की गयी है, का पूरे वर्ष के दौरान कार्य देखा गया है अथवा नहीं। यह स्थिति नियमों एवं प्रक्रिया के विपरीत है। वार्षिक प्रविष्टियों में कार्यावधि अंकित न किया जाना प्रविष्टिकर्ता अधिकारी की लापरवाही भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अनुचित लाभ / हांनि पहुचाने के उद्देश्य से किया गया हो।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करते समय प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी) द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में अपनी कार्यावधि (जिस अवधि में उनके द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी का कार्य देखा गया हो) का स्पष्ट अंकन अनिर्वाय रूप से सुनिश्चित किया जाय। यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यावधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उनके इस क़त्य को अधीनस्थ अधिकारी को अनुचित लाभ/हांनि पहुचाये जाने का प्रयास मानते हुए उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाणपत्र रोकने पर विचार किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2/2005 दिनांक 21-02-2005 (छाया प्रति संलग्न) में निर्धारित समय सारिणी का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,
रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 32/2016/938/37-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर निदेशक(ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2)पशुपालन विभाग,द्वारा निदेशक(प्र0 एवं वि0)पशुपालन।
2- समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक, पशुपालन, द्वारा निदेशक(प्र0 एवं वि0)पशुपालन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in